बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 427818 पटना, दिनांक- 10-06-2019

ग्रा0वि0 07(विविध)-11/2014

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो के कार्यान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

अवगत हैं कि मनरेगा अधिनियम के अनुसूची-I की कंडिका 4(IV) का iv तथा मनरेगा दिशा-निर्देश 2013 (चौथा संस्करण) की कंडिका 7.1.3 की उप कंडिका-VII में आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो के संबंध में प्रावधान किया गया है ।

विदित हो कि राज्य के कई जिले विशेष रूप से उत्तर बिहार के जिले, जुलाई से सितम्बर माह तक प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते है । अतएव आवश्यक है कि बाढ़ की विभिषिका को कम करने हेतु पूर्व से ही कार्य योजना तैयार कर ली जाय, ताकि जान-माल का कम-से-कम नुकसान हो । मनरेगा अंतर्गत कई ऐसे कार्य है, जो बाढ़ नियंत्रण हेतु उपयोगी है जहाँ मुख्य रूप से निम्न कार्यों का कार्यान्वयन मनरेगा से कराया जा सकता है :-

1. तटबंध को सुदृढ़ बनाना,
2. जलभराव से ग्रस्त इलाकों से जल निकास मार्ग,
3. बाढ़ नालों को गहरा करना और मरम्मत करना,
4. चौर नवीकरण,
5. क्रॉस बाँध आदि ।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीणों के सहयोग से स्थानों को चिन्हित कर लिया जाय । कार्यों को विशेष ग्राम सभा आयोजित कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय (वार्षिक कार्य योजना में अगर शामिल नहीं हो) तथा आपदा प्रबंधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों के सहयोग से प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जाय ताकि उपयोगी परिसम्पत्ति सृजन किया जा सके ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/- 7/6

(सी0 पी0 खंडूजा)
आयुक्त, मनरेगा